प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 10.07.2026

कूटरचित व गलत तथ्य प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा करने के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद संतकबीरनगर के *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2023 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भादवि, धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 व धारा 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से सम्बन्धित अभियुक्त विजय शुक्ला पुत्र महेन्द्र शुक्ला निवासी इमिलडीहा थाना कोतवाली जनपद संतकबीरनगर स्थाई पता मोरवन थाना रामकोला जनपद कुशीनगर के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था। उपरोक्त को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। विदित हो कि दिनांक 09.07.2026 को इमिग्रेशन डिपार्टमेन्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के अधिकारीगण द्वारा जरिये ई-मेल से सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2023 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भादवि, धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 व धारा 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना कोतवाली खलीलाबाद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित प्रकाश में आये अभियुक्त विजय शुक्ला पुत्र महेन्द्र शुक्ला निवासी इमिलडीहा थाना कोतवाली जनपद संतकबीरनगर स्थाई पता मोरवन थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को विदेश से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली आने पर इमिग्रेशन डिपाटमेन्ट के अधिकारीगण द्वारा LOC के आधार पर पकडा गया है। इस सूचना से अवगत होने के पश्चात थाना कोतवाली खलीलाबाद पर नियुक्त उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, का0 दुर्गेश कुमार द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु दिल्ली के लिए रवाना हुये थे। अभियुक्त उपरोक्त को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पहुँचकर इमिग्रेशन डिपाटमेन्ट के अधिकारीगण से सम्पर्क करने पर इमिग्रेशन डिपामेन्ट के अधिकारीगण से वार्ता कर अभियुक्त विजय शुक्ला को पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किया गया। आज दिनाँक 10.07.2026 को साथ लेकर दिल्ली से थाना खलीलाबाद संतकबीरनगर उपस्थित आये। अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 10.07.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 450/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रवि पुत्र शम्भू ग्राम कुदरहा थाना लालगंज जनपद बस्ती को रामपुर चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 26.06.2026 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय, हे0का0 इब्राहिम अली।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा व कुल 1000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 10.07.2026 को न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा व कुल 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री विजय कुमार पुत्र लालमन नाई निवासी रानीपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 11.02.2001 को अभियुक्त तेज प्रकाश चौधरी पुत्र रामनयन चौधरी निवासी नरायनपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री फणीन्द्र सिंह यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 12/2001 धारा 323/504 भादवि थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

घर से नाराज़ होकर निकली 02 नाबालिग बालिकाओं को थाना मेंहदावल पुलिस ने सुरक्षित परिजनों से मिलाया, 04 दिनों बाद परिजनों की लौटी मुस्कान

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल *श्री राकेश कुमार सिंह* के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पर दिनांक 06.07.2026 को 02 नाबालिग बालिकाओं की गुमशुदगी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिसकर्मियों ने बालिकाओं को पूरी संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं विश्वास के साथ सर्विलांस सेल के सहयोग से सुरक्षित दिल्ली से बरामद करते हुए संरक्षण में लिया। शांतिपूर्वक बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि वह पारिवारिक नाराज़गी के कारण घर छोड़कर चली गयी थी। वह विभिन्न स्थानों से होते हुए दिल्ली पहुँच गई। कई बार छोटी-सी नाराज़गी परिवारों को ऐसी चिंता में डाल देती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

आवश्यक सत्यापन एवं विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद बरामद बालिकाओं को दिल्ली से थाना मेंहदावल लाकर परिजनों को बुलाया गया। जब परिजन थाना पहुँचे और अपनी बेटियों को सकुशल देखा तो उनकी आँखों से राहत और खुशी के आँसू छलक पड़े। 04 दिनों से व्याकुल परिवार ने बेटियों को सीने से लगाया और थाना मेंहदावल पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया।

यह घटना एक बार फिर सिद्ध करती है कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने का कार्य ही नहीं करती बल्कि संकट की घड़ी में परिवारों की उम्मीद बनकर मानवीय संवेदनाओं का भी निर्वहन करती है।

थाना मेंहदावल पुलिस की अपील:

बच्चे परिवार की सबसे अनमोल धरोहर हैं। यदि किसी कारणवश घर में मतभेद या नाराज़गी हो जाए तो संवाद बनाए रखें और बच्चों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। वहीं यदि कोई बच्चा घर से लापता हो जाए या भटका हुआ मिले तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। समय पर की गई सूचना किसी परिवार की खुशियाँ वापस ला सकती है।

बरामदगी टीम- उ0नि0 श्री राम नारायण, हे0का0 रोहित प्रसाद कांस्टेबल, का0 चंदन यादव, का0 अरुण यादव, रिक्रूट महिला आरक्षी अंशिका तिवारी।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना दुधारा ***श्री अमित कुशवाहा*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुं0अ0सं0 256/2026 धारा 191(2), 115(2), 110, 352, 109, 117(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता प्रभुनाथ पुत्र भुईधर निवासी सालेहपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 10.07.2026 को पिपराकला स्कूल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 17.06.2026 को वादी श्री महोन पुत्र बदल निवासी सालेहपुर(कंचन पुरवा) थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर तहरीर दिया गया कि दिनाँक 16.06.2026 को गिरफ्तार अभियुक्त व उनके अन्य साथियों द्वारा प्रार्थी के साथ पुरानी पट्टीदारी की रंजिस को लेकर योजना बनाकर जान से मारने के नियत से अचानक हमला कर दिये, बीच बचाव में वादी के परिजन आ गए उन्हे भी मारा पीटा गया जिससे वादी की पत्नी श्याम दुलारी को गम्भीर प्राण घातक चोटें आयी है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 10.07.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

01- उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, का0 अमन मिश्रा, का0 दीपनारायण शर्मा।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा ***श्री अमित कुशवाहा*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 282/2026 धारा 64(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 67 ए आईटी एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता संदीप प्रजापति पुत्र जवाहिर प्रजापति निवासी पकड़ी अराजी डिबहारी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 10.07.2026 को पकड़ी अराजी के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 07.07.2026 को थाना दुधारा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर ब्लैक मेल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनाँक 10.07.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, हे0का0 राजेश प्रसाद, का0 गुड्डू यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 158 वाहनों से 53,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 158 वाहनों 53,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 02 अभियुक्ताओं को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 10.07.2026 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्ताओं को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी रामनरेश सिंह निवासी बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 06.01.2008 को अभियुक्ताओं 01.शोभादेवी पत्नी मुक्तनाथ 02. प्रेमलता पत्नी अजयनाथ निवासीगण बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना मेहंदावल पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री जे0एन0 मौर्य द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एन0सी0आर0 04/2008 धारा 323/504/506 भादवि थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्तागण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 20-20 दिन के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।